सतत विकास लक्ष्य एवं वंचित समुदाय श्रृंखला – 1

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियां और सतत विकास लक्ष्यः

मुद्दे, नीति, बजट एवं योजनाएं

नेसार अहमद

2022

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर
(Budget Analysis and Research Center Trust, Jaipur)
ईमेल : barctrust@gmail.com वेबसाइट : www.barctrust.org

अनुक्रमिका

विषय	पेज क्रमांक
परिभाषा एवं पहचान	2
सामाजिक आर्थिक स्थिति	3
घुमन्तू जातियां और सतत् विकास लक्ष्य	8
घुमन्तू समुदायों के लिये नीतियां, योजनाएं एंव बजट	9
विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति के लिये राजस्थान सरकार की नीति, योजनाएं एवं बजट	10
सारांश	14
सुझाव	17
संदर्भ सूची	18
संलग्नक तालिका	19
संलग्नक 2 राजस्थान राज्य की विमुक्त, घुमन्तू जातियां और अर्द्धघुमन्तू जातियों की सूची	21
संलग्नक 3 विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाई गई ड्राफ्ट सूची में शामिल जातियां	22

सारणी सूची

सारणी	पेज क्रमांक
गाड़िया लोहार भवन निर्माण (गड़िया लोहारों के लिए एकीकृत परियोजना)	12
गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान	12
नवजीवन योजना का बजट व्यय एवं के लाभान्वितों की संख्या	13

चार्ट सूची

चार्ट	पेज क्रमांक
विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की संसाधनों तक पहुँच एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिति (प्रतिशत)	4
विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के पास विभिन्न पहचान पत्र (प्रतिशत)	5
विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों सामाजिक सेवाओं तक पहुँच (प्रतिशत)	6
विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों महिलाओं की मातृत्व सेवाओं तक पहुंच (प्रतिशत)	7

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी), जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, का नारा है 'कोइ पीछे ना रहे। (Leave No One behind)'। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी वंचित समुदायों के लिये भी इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए बार्क ने राजस्थान के विभिन्न वंचित समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, विमुक्त एवं घुमन्तू समुदायों की स्थिति, उनके लिये राज्य की नीति, बजट और योजनाओं पर केन्द्रित नीति प्रपत्र तैयार कर रहा है। इस क्रम में राज्य में विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदायों की स्थिति तथा सरकारी नीतियों और बजट का विश्लेषण करते हुए ये नीति प्रपत्र तैयार किया गया है।

परिभाषा एवं पहचान

विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जातियां वो जातियां हैं जो अपनी आजीविका के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। इन जातियों की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं होने के कारण इन जातियों की पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बन हुयी है। इनमें से विमुक्त जातियां वो जातियां हैं, जिन्हें अग्रेजों ने अपराधिक जाति कानून 1871 के तहत ''अपराधी'' जातियां घोषित कर दिया था। आजादी के बाद इस कानून को समाप्त कर ''आदतन'' अपराधी कानून लाया गया तथा इन जातियों को ''डिनोटीफाई'' किया गया। अब ऐसी ''डिनोटीफाइड'' जातियों को विमुक्त जातियां कहते हैं। घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जातियां वो जातियां हैं जो अपनी आजीविका के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। इनके पेशे (काम–काज) अलग–अलग हो सकते हैं जैसे– चरवाहा, शिकारी, लुहार, मनोरंजन, संगीत आदि लेकिन मुख्यतः ये जातियां कहीं भी स्थाई रूप से निवास नहीं करती हैं। विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू आयोग अपनी रिर्पोट (रेनके आयोग रिर्पोट 2008) में घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जातियों में अन्तर नहीं करते हुए इन जातियों की एक संपूर्ण सूची बनाने पर ज़ोर देता है।

पहचानः– जहां तक इन जातियों की पहचान की बात है तो अलग–अलग राज्यों में इन जातियों की अलग–अलग सूची (पहचान) है। राजस्थान की अधिकारिक सूची में 32 जातियों को रखा गया है, जिनमें 9 विमुक्त जातियां हैं, 10 घुमन्तू जातियां और 13 अर्द्धघुमन्तू जातियां हैं। यह सूची 1964 में बनाई गयी थी। विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू पर बने एक और आयोग (इराते आयोग) ने देश भर के विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जातियों की राज्यवार ड्राफ्ट सूची बनाई है। इस सूची में राजस्थान से राज्य की अधिकारिक सूची में शामिल 32 जातियों के अलावा लगभग 41 और जातियों की पहचान विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के रूप में की गई है (पेज 32–33) (संलग्नक 1)।

संवैधानिक स्थितिः– विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की तरह संविधान में अलग पहचान नहीं की गई है। हालांकि इनमें से कईं जातियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं, जबकि कईं जातियां इन तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। इदाते आयोग के अनुसार पूरे देश में 269 जातियां अनु. जाति, अनु. जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान राज्य की अधिकारिक सूची में शामिल 32 जातियों में से 13 जातियां अनु. जाति, अनु. जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं (पेज 108)। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति आयोग की जातियों की ड्राफ्ट सूची में राजस्थान की ऐसी 33 विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की पहचान की गई है जो अनु. जाति, अनु. जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं (पेज 60–61)।[1] रेनके आयोग ने अपनी रिर्पोट (2008) में यह भी पाया कि एक ही जाति किसी राज्य में अनु. जाति में है तो दूसरे राज्य में अनु. जनजाति में शामिल है, जबकि किसी अन्य राज्य में उसी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। जबकि राज्य में ही एक ही जाति को अलग–अलग जिलों में अलग सूचियों में रखा गया है।

जनसंख्याः– रेनके आयोग ने अपनी रिर्पोट (2008) में इन जातियों की कुल जनसंख्या 2001 में 10 से 12 करोड़ माना है। साथ ही यह इस रिर्पोट में सिफारिश की गयी थी कि 2011 की जनगणना में इन जातियों की जनसंख्या की अलग से गिनती की जाये ताकि केन्द्र एवं राज्य सरकारें विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के लिये उपयुक्त योजनाएं बना सकें। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की कुल आबादी 35 लाख है।

सामाजिक आर्थिक स्थिति

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियां आजीविका के लिये विभिन्न प्रकार के काम करती हैं। आपराधिक जाति कानून 1871 ने कईं तरह के काम करने वाली जातियों को अपराधी जातियां घोषित कर दिया था, जिन्हें अब विमुक्त जातियां कहते हैं। इनमें से कईं जातियां अग्रेंजी राज के खिलाफ बगावत में लगी रहती थीं। इस कानून ने इन जातियों को अपराधी घोषित कर इन्हें कईं प्रकार के लाभों से वंचित कर दिया था। ये जातियां कईं प्रकार के कार्य करती थीं।

---

[1] http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Draft%20List%20of%20Denotified%20Tribes%20for%20Mail.pdf

जंगलों पर निर्भर घुमन्तु जातियां जो चरवाही, शिकार आदि काम किया करते थे, विभिन्न वन कानूनों ने उनकी आजीविका को भी छीन लिया।

रेनके आयोग रिर्पोट (2008) में घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों को मुख्यतः शिकारी एवं भोजन संग्रहण करने वाले चरवाहे और गैर चरवाहे जातियों में बांटा गया है। वन कानूनों के लागू होने और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी से इन जातियों की आजीविका खतरे में पड़ गई और इनमें भूखमरी जैसी स्थिति बढ़ी। उसी प्रकार अन्य कार्य करने वाले घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू जातियों की आजीविका भी कई कारणों से समाप्त होती चली गई। मनोरंजन के लिये जानवरों के उपयोग पर पाबन्दी, आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली को प्राथमिकता, और कुल मिलाकर आधुनिक विकास प्रक्रिया ने इन खानाबदोश जातियों की पारंपरिक आजीविका को लगभग समाप्त कर दिया है। जानवर खरीदने और बेचने वाली जातियों को वर्तमान में गौरक्षा के नाम पर होने वाले विरोधों एवं हिंसा का सामना करना पड़ता है।[2]

वर्तमान में इन जातियों की सबसे बड़ी और मुख्य समस्याओं में से एक है आवास और भूमि पर पहुंच या मालिकाना हक का अभाव। रेनके आयोग रिर्पोट (2008) के अनुसार 89 प्रतिशत विमुक्त और 93 प्रतिशत घुमंतू/अर्द्ध घुमंतू व्यक्तियों के पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है (चार्ट–1)।[3]

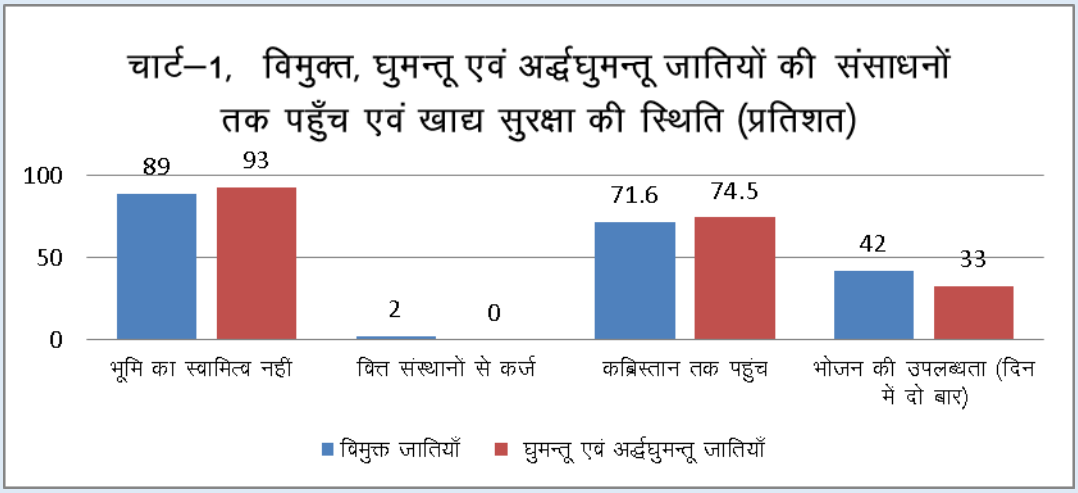

स्रोतः रेनके आयोग रिर्पोट (2008)

[2] https://thewire.in/rights/gau-raksha-banjara

[3] http://daic.gov.in/documents/PPT%20ON%20DNT%20Presented%20at%20LBSNAA%20By%20B%20L%20Meena.pdf

इन जातियों को इनके मानव अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड व अन्य पहचान पत्रों के आभाव में ये जातियां सरकारी कार्यक्रमों के लाभों से भी वंचित रह जाती हैं। रेनके आयोग रिर्पोट 2008 के अनुसार आधे विमुक्त और 60 प्रतिशत से अधिक घुमन्तू/अर्द्धघुमंतू व्यक्तियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। 55 प्रतिशत विमुक्त और 72 प्रतिशत घुमन्तू/अर्द्ध घुमंतू व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं (चार्ट–2) है।

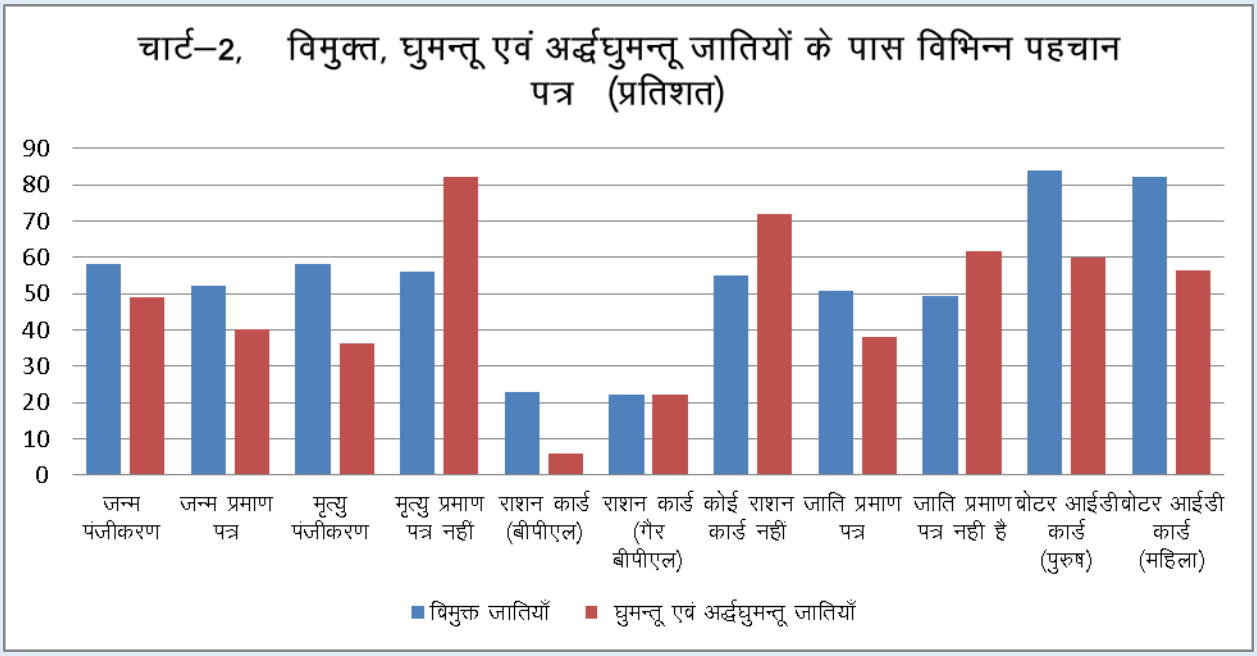

स्रोतः रेनके आयोग रिर्पोट (2008)

दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण इन जातियों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं, तक पहुँच नहीं है। रेनके आयोग रिर्पोट (2008) के अनुसार 58 प्रतिशत विमुक्त जातियों के बच्चे और 72 प्रतिशत घुमन्तू/अर्द्ध घुमंतू बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। लगभग आधे विमुक्त जातियों के बच्चे और लगभग 80 प्रतिशत घुमन्तू/अर्द्ध घुमंतू बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं जा पाते हैं (चार्ट–3)।[4]

हाल में तीन राज्यों – राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात – में किये गए अध्ययन में पाया गया है कि हालाँकि घुमन्तु समुदायों के बीच अब मतदाता पहचान पत्र एवं आधार काड्र्स की उपलब्धता बढ़ी है लेकिन बड़ी संख्या में इन पहचान पत्रों में नाम, पते आदि ग़लत लिखे होने के कारण उनका लाभ ले पाना संभव नहीं हो पता है। अन्य दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, नरेगा

[4] *ibid*

जॉब काड्र्स, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पात्र अभी भी बहुत कम परिवारों के सभी सदस्यों के पास हैं।[5]

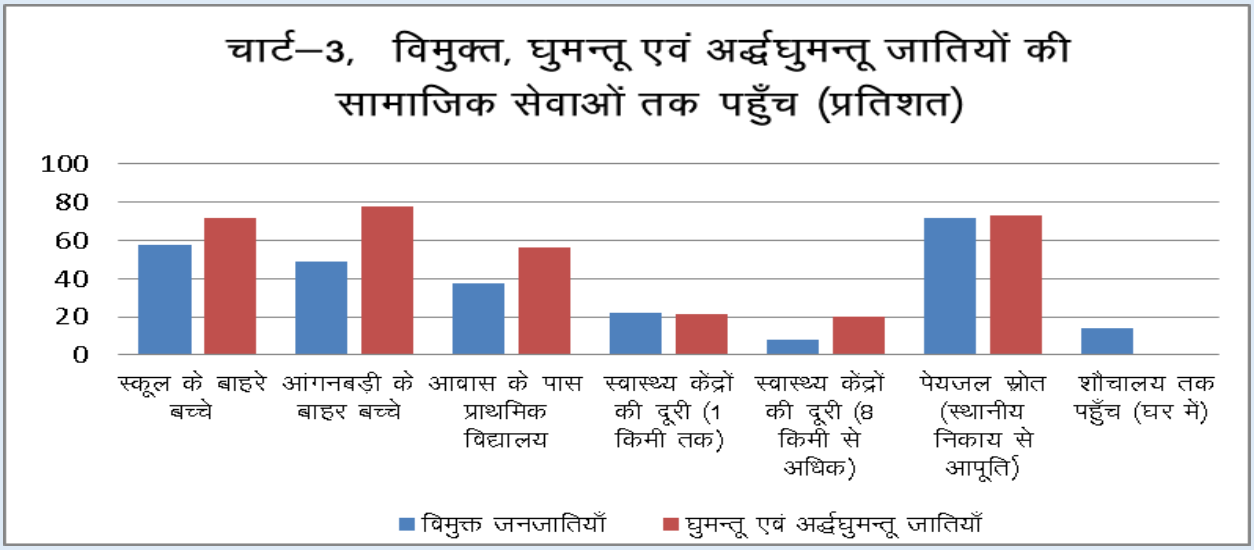

स्रोतः रेनके आयोग रिर्पोट (2008)

रेनके आयोग रिर्पोट (2008) में इन जातियों के आजीविका की समाप्ति एवं सांस्कृतिक एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन पर विस्तृत चर्चा की गई है। चूंकि इनमें से कईं जातियां अनु. जाति या अनु. जनजाति में नहीं आती उन जातियां को अनु. जाति, अनु. जनजाति अत्याचार निवारण कानून का लाभ और संरक्षण भी नहीं मिल पाता है। यही नहीं लगभग एक चौथाई विमुक्त और घुमन्तू/अर्द्ध घुमंतू जातियों की श्मशान केंद्रों तक पहुँच नहीं है।[6]

हाल ही में किये गये भाषा शोध एवं प्रकाशन केंद्र के सर्वेक्षण के मुताबिक राजस्थान सहित तीन राज्यों में घुमन्तू जातियों में साक्षरता की दर (6 वर्ष से अधिक) महज 47 प्रतिशत है। इस समुदाय की महिलाओं में साक्षरता केवल 42 प्रतिशत और पुरुषों में 52 प्रतिशत है। 27 प्रतिशत माँ–बाप ने आंरभिक कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया था और केवल 1.6 प्रतिशत माँ–बाप ही अपनी शिक्षा पूरी कर पाए हैं।[7]

महिलाओं की स्थितिः– अन्य समुदायों की तरह विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों में भी महिलाओं की स्थिति खराब है या शायद अन्य समुदायों से भी ज्यादा दयनीय है। रेनके

[5] Bhasha Research and Publication Centre, 2021, Voicing the Community: A Study on the De-notified and Nomadic Tribes of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh, Vadodara
[6] ***ibid***
[7] Bhasha Research and Publication Centre, 2021, Voicing the Community: A Study on the De-notified and Nomadic Tribes of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh, Vadodara

आयोग रिर्पोट (2008) में स्पष्ट कहा गया है कि विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू महिलाएं कईं प्रकार के शोषण की शिकार हैं और चूंकि ये महिलाएं कईं प्रकार की असामानताएं (सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक) एक साथ झेल रही हैं। अतः इनका शोषण अन्य समुदाय की महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। आजीविका में आये बदलावों ने भी इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के नये कार्यों जैसे डांस बार कार्य आदि में ढ़केला है, जहां वो शोषण का आसान शिकार बन जाती हैं। रेनके आयोग रिर्पोट (2008) के अनुसार केवल 26 प्रतिशत महिलाएं ही प्रसव के लिए किसी सरकारी या निजी स्वास्थ्य केंद्र जा पाती (चार्ट–4) हैं।

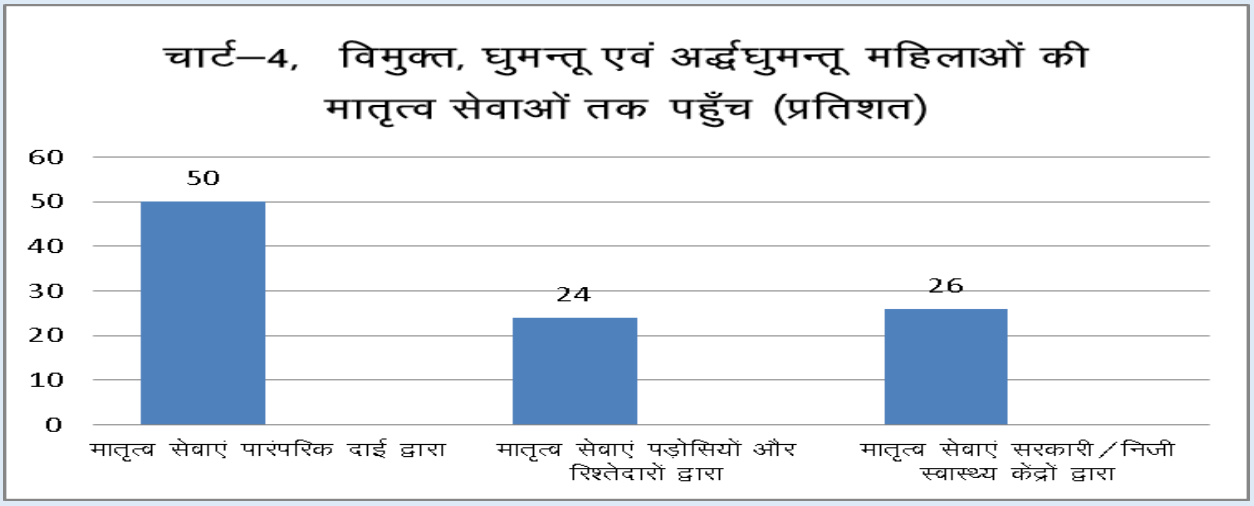

स्रोतः रेनके आयोग रिर्पोट (2008)

घुमन्तू समुदाय और कोरोना संकटः– कोरोना संकट और इसको रोकने के लिये लगाये गये लॉक डाउन ने सभी समुदायों की तरह घुमन्तू समुदायों को भी कईं प्रकार के संकटों में डाल दिया है। प्रवासी मज़दूरों की तरह घुमन्तू समुदाय भी जहां तहां फंस गये, जिस काम में लगे थे वो काम बंद हो गया। भुखे प्यासे सैंकड़ों कि.मी. पैदल चलने पर मजबूर हुए। काम काज बंद हो जाने से आय के सभी स्रोत समाप्त हो गये। साथ ही दस्तावेज़ों के अभाव में इन समुदायों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत कार्यों का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। एक अध्ययन[8] में शामिल घुमन्तू समुदायों की 114 बस्तियों में से 55 प्रतिशत बस्तियों में लॉकडाउन के दौरान क़र्ज़ की स्थिति बढ़ी है। और जहाँ तक राहत का सम्बन्ध है तो आधी बस्तियों में ही सभी को निर्धारित राशन मिला है और 22 प्रतिशत बस्तियों में ही सबको अतिरिक्त राशन मिला है। उज्जवला और पेंशन योजनाओं का लाभ भी एक चौथाई बस्तियों में ही सबको मिला है जबकि 50 प्रतिशत से भी कम बस्तियों में कुछ परिवारों को ही उज्जवला और पेंशन योजनाओं का लाभ मिला है। 43 प्रतिशत बस्तियों में सभी परिवारों के जन–धन खाते में 500

[8] https://d3971b67-4c49-4f6d-aa7c-63f2a5b3cac5.filesusr.com/ugd/8a8dda_c5f48e191d1a487795efe2683af00a9d.pdf

रुपये जमा हुए जबकि आधी बस्तियों में कुछ परिवारों के जन–धन खाते में 500 रुपये जमा हुए हैं।

घुमन्तू जातियां और सतत् विकास लक्ष्य

घुमन्तू जातियों के आर्थिक सामाजिक स्थिति का उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ये समुदाय विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों से बहुत ही पीछे हैं। गरीबी (लक्ष्य–1), साक्षरता (लक्ष्य–4), स्वास्थ्य (लक्ष्य–3), महिलाओं की स्थिति (लक्ष्य–5), साफ पेयजल तक पंहुच (लक्ष्य–6) संपत्तीयों पर मालिकाना हक़ और राजनैतिक भागीदारी (लक्ष्य–10) आदि सभी लक्ष्यों के मामले में घुमन्तू समुदाय बाकी जनसंख्या से पीछे हैं।

रेनके आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि मानव विकास सूचकांक पर ये समुदाय काफी पीछे हैं और साथ ही ये समुदाय राजनैतिक रूप से भी हाशियाकृत हैं, क्योंकि एक जगह पर बसे नहीं होने के कारण इनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होता है तथा इनकी राजनैतिक भागीदारी काफी कम होती है।

देश में सतत् विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग की रिर्पोट 2020–21 में राजस्थान को ''पॉर्फामर'' राज्यों की श्रेणी में रखा गया है तथा राज्य को 100 में से कुल 60 अंक मिले हैं, जबकि देश का औसत अंक 66 हैं।[9] हांलाकि कई लक्ष्यों जैसे 'साफ पयेजल' (लक्ष्य–6), 'उचित काम और अर्थव्यवस्था' (लक्ष्य–8), 'मौसम बदलाव पर कार्य' (लक्ष्य–13), और 'जमीन पर जीवन' (लक्ष्य–15) के मामले में राज्य का प्रदर्शन पिछले वर्ष के मुकाबले खराब हुआ है। यही नहीं लक्ष्य–10 'असमानता में कमी' जो घुमन्तू समूदायों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है के मामले में भी राजस्थान का प्रदर्शन काफी खराब हुआ है तथा उसे इस वर्ष इस लक्ष्य के लिये 100 में से मात्र 45 अंक मिले हैं।

यहाँ यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है कि नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानता में कमी) को नापने के संकेतकों में हाशियाकृत समुदायों से सम्बंधित जो संकेतक शामिल किये गये हैं, वो हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराध, चुनावों से बने संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व और ट्रांसजेंडर का कुल पुरुष कार्य बल (रोज़गार) में भागीदारी। लेकिन इसमें अन्य वंचित समुदायों से सम्बंधित कोई और संकेतक शामिल नहीं किया गया है।[10]

[9] https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.03.2021_Web_Spreads.pdf
[10] **Ibid**

घुमन्तू समुदायों के लिये नीतियां, योजनाएं एंव बजट

केन्द्र एंव राज्य सरकारों ने इस समुदाय के लिये कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। हालांकि आजादी के बाद से ही कई आयोग और समितियों ने इस समुदाय की स्थिति पर विमर्श किया है और सिफारिशें की हैं। इसी क्रम में वर्ष 2005 में भारत सरकार ने एक विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू आयोग (रेनके आयोग) बनाया जिसने अपनी रिर्पोट 2008 में पेश की। उसके बाद वर्ष 2015 में पुनः एक आयोग (इदाते आयोग) का गठन किया गया जिसने वर्ष 2017 में अपनी रिर्पोट पेश की। इदाते आयोग ने अपनी रिर्पोट में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की समुचित सर्वेक्षण के लिये बजट आवंटन नहीं होने की शिकायत भी की है। इस आयोग की एक जिम्मेदारी राज्यवार सूची बनाने की भी थी जिसके लिये आयोग ने ड्राफ्ट सूची की अलग रिर्पोट बनाई है। इस आयोग ने विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के लिये एक स्थाई आयोग तथा एक अलग विभाग बनाये जाने की सिफारिश की है।

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू बोर्ड[11] की स्थापना की है। बोर्ड के मुख्य कार्य निम्न हैंः

- विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना एवं उन्हें लागू करना।
- उन स्थानों / क्षेत्रों का पता लगाना जहां इन समुदायों की आबादी अधिक है।
- मौजूदा कार्यक्रमों तक विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की पहुँच और पात्रता में अंतराल का पता लगाना तथा मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना कि चालू कार्यक्रम की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करें।
- विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में हो रही प्रगति पर निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना।

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के लिये भारत सरकार की योजनाएं :– भारत सरकार वर्तमान में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के लिये निम्न योजनाएं चला रही है।

1. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति विकास एवं कल्याण बोर्ड
2. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति के लिये योजना

[11] http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Gazette%20%20notification%20dated%2021022019.pdf

ये योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही हैं एवं यही इन समुदायों के विकास के लिए नोडल मंत्रालय है। इनके अलावा इस मंत्रालय द्वारा अन्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये लागू निम्न योजनाओं में भी विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों को भी लाभार्थी रखा गया है।

1. अनुसूचित जाति के लिये विदेश में अध्ययन छात्रवृति
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

केन्द्र सरकार का बजटः– ये योजनाएं छोटे बजट की योजनाएं हैं। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति के लिये योजना का कुल बजट वर्ष 2020–21 में मात्र 10 करोड़ रूपये था जो पिछले वर्ष भी इतना ही था। जबकि इसके पिछले वर्ष 9 करोड़ रूपये था। पिछले वर्ष ही गठित हुए वि.घु.अ. बोर्ड को इस वर्ष मात्र 1.24 करोड़ रूपये मिले हैं। अन्य पिछड़े वर्गो की योजनाओं, जिनमें वि.घु.अ जातियों को लाभार्थी बनाया गया है का कुल बजट 85 करोड़ रूपये (2020–21) है। जबकि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त विकास निगम को इस वर्ष 200 करोड़ रूपये की वित्तिय सहायता दी गई है।

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति के लिये राजस्थान सरकार की नीति, योजनाएं एवं बजट

राजस्थान में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के विकास लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्य ज़िम्मेदार विभाग है। राजस्थान सरकार ने भी राज्य में एक विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू बोर्ड की स्थापना की है। हालांकि इस बोर्ड में फिलहाल नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसके अलावा राज्य में एक पशुपालक बोर्ड भी है। चूंकि बहुत सारी घुमन्तू जातियां पशुपालन में संलग्न हैं तो यह आशा की जा सकती है कि यह बोर्ड चुनी हुई घूमन्तू जातियों के विकास के लिए भी कार्य करेगा। राज्य में इन समुदायों के लिये कुछ योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, जैसे गड़िया लोहारों के लिये योजनाएं। कुछ योजनाएं हाल में भी शुरू हुई हैं। कुछ योजनाएं विशेष कर घुमन्तू जातियों के लिये हैं जबकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ घुमन्तू जातियां भी लाभांवित होती हैं।

विशेष रूप से घुमन्तू जातियों की योजनाएं :

- विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति बोर्ड।
- विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के लिए योजना।
- गड़िया लोहार को कच्चे माल के लिए अनुदान।

- गड़िया लोहार के लिए एकीकृत परियोजना के लिए अनुदान।

योजनाएं जिनसे कुछ घुमन्तू जातियां भी लाभांवित होती हैं :

- नवजीवन योजना के अंर्तगत लाभांवित परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण
- नवजीवन योजना
- राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड को अनुदान
- पशुपालकों के बच्चों के लिए योजना
- पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय
- देवनारायण योजना।

संलग्नक सारणी 1 में विशेष रूप से घुमन्तू जातियों की योजनाएं और ऐसी योजनाएं जिनसे कुछ घुमन्तू जातियां भी लाभांवित होती हैं दोनों तरह की योजनाएं और उनका बजट दिखाया गया है।

जैसा कि संलग्नक सारणी 1 में देखा जा सकता है, विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए योजना के अंतर्गत कईं योजनाएं चलती हैं, वर्तमान वर्ष 2021–22 में उत्तर मेट्रिक योजना के लिए 1.07 करोड़ रुपये का बजट अनुमान रखा है, जो कि वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान से लगभग 40 लाख रुपये अधिक है। लेकिन वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक उत्तर मेट्रिक योजना का वास्तविक व्यय शून्य रहा है जबकी इस योजना के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ हो रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि विमुक्त घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के बच्चों को उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान वर्ष में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमन्तू जातियों के लिए चलायी जा रही बाकी सभी योजनाओं में बजट आवंटन शून्य है इससे पूर्व इन योजनाओं का बजट नाम मात्र का था। ऐसा इन योजनाओं का शिक्षा एवं अन्य विभागों के माध्यम से लागू होने के कारण हुआ है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मद के बजट में हालाँकि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पूर्व माध्यमिक एवं छात्रावास योजनाओं का बजट अलग से दिखाया गया है, लेकिन इन समुदायों की योजनाओं का बजट अलग से नहीं दिखाया गया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं का वास्तविक व्यय शून्य दिखाया गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि **इनमें से उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति को छोड़ कर अन्य योजनाओं का बजट वास्तव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए चलायी जा रही योजनाओं के बजट में ही शामिल रहता है। जो विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियां इन तीनों में से जिस सूची**

में आती हैं, उन्हें उन समुदायों की योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए इन योजनाओं में जातियों के लाभार्थियों का अलग आंकड़ा भी नहीं मिल पाता। उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति को छोड़ कर और कोई योजना विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए अलग से चालू नहीं है और उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति में भी पिछले तीन सालों में कोई आवेदन नहीं आया है। इसलिए इसमें भी कोई व्यय एवं लाभार्थी नहीं है।

गाड़िया लोहारों लिए योजनाएंः– राज्य में गाड़िया लोहार, जो एक घुमन्तू जाति है, के लिए दो योजनाएं चल रही हैं। गाड़िया लोहार को कच्चे माल के लिए अनुदान हेतु इस वर्ष 2 लाख रुपये का बजट रखा गया है। गाड़िया लोहार के लिए एकीकृत परियोजना के लिए अनुदान हेतु इस वर्ष 1.5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या स्पष्ट रूप से विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों के आंकड़े भी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है जिसे निम्न सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी 1 गाड़िया लोहार भवन निर्माण (गड़िया लोहारों के लिए एकीकृत परियोजना)

वर्ष	व्यय (राशि लाख में)	लाभान्वितों की संख्या
2017–18	150.00	214
2018–19	149.95	222
2019–20	140.40	201
2020–21*	125.00	178

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, 2020–21, सामाजिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
*दिसम्बर 2020 तक

ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–2020 में लाभार्थियों की कुल संख्या 201 रही है, जो कि पिछले तीन वर्षों में सबसे कम रही है जबकि वर्ष 2020–21 में दिसम्बर 2020 तक लाभार्थियों की संख्या 178 रही है।

सारणी 2 गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान

वर्ष	व्यय (राशि लाख में)	लाभान्वितों की संख्या
2017–18	5.00	100
2018–19	5.00	100
2019–20	1.55	31
2020–21*	2.00	40

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, 2019–20, सामाजिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
*दिसम्बर 2020 तक

गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान सहायता योजना में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में लाभार्थियों की संख्या 100–100 (बराबर) रही है, जबकि वर्ष 2019–20 में लाभार्थियों की संख्या केवल 31 रही है, जो कि चार वर्षों में सबसे कम है। वर्ष 2020–21 में दिसम्बर 2020 तक लाभार्थियों की संख्या 40 है।

नवजीवन योजनाः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास तथा पुनर्वास (वैकल्पिक आजीविका, शिक्षा एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना) के लिए नवजीवन योजना का संचालन 2011 से किया जा रहा है। इस योजना में कुछ विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों जैसे कंजर, सांसी, भाट, नट, मोंगिया, बावरिया एवं अन्य जातियों जैसे भाण्ड, राणा, डोम, बेड़िया, बागरिया, सिरकीवाल, चौबदार, एवं ढ़ोली के व्यक्ति तथा जिला कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास के लिए विभिन्न आजीविका साधन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के लाभान्वितों की संख्या निम्न रही है।

सारणी 3 नवजीवन योजना का बजट व्यय एवं के लाभान्वितों की संख्या

वर्ष	बजट व्यय (राशि लाखों में)	लाभान्वित
2014–15	406.98	5153
2015–16	372.99	2350
2016–17	234.59	3061
2017–18	288.67	2445
2018–19	353.64	2829
2019–20	454	4344
2020–21*	324.63	4143

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, 2019–20, सामाजिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

* दिसंबर 2020 तक

संलग्नक तालिका 1 से स्पष्ट है कि इस वर्ष नवजीवन योजना के लिए 5.29 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 1.56 करोड़ रूपये (41.82 प्रतिशत) अधिक है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक बजट अनुमान से वास्तविक व्यय हमेशा कम रहा है।

देवनारायण योजनाः– इसके अलावा राज्य में एक श्रेणी विशेष पिछड़ा वर्गों की है, जिनके लिये एक विशेष बोर्ड देवनारायण बोर्ड है। गुर्जर जाति के अलावा 4 घुमन्तू जातियों को इस श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के लिये विशेष रूप से देवनारायण योजना चलाई जा रही है, जिसमें सामाजिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अलावा अन्य विभागों की योजनाएं भी शामिल हैं।

इस वर्ष देवनारायण योजना का बजट अनुमान 208.76 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि पिछले वर्ष से 18.43 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2020–21 का संशोधित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में लगभग 22.81 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है।

देवनारायण योजना और विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए योजना के क्रियान्यन एवं रिपोर्टिंग में स्पष्ट अंतर है। देवनारायण योजना के अंतर्गत भी सभी योजनाएं अलग अलग विभागों के माध्यम से लागू हो रही हैं। लेकिन देवनारायण योजना का बजट स्पष्ट रूप से बजट पुस्तिकाओं में दिखाया जाता है। विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में भी इस योजना के बारे में जानकारी पारदर्शी रूप से दी गयी है। विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में योजनाओं के बजट और लाभार्थियों की जानकारी भी उपलब्ध है। यहाँ तक की नवजीवन योजना के बारे में भी विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में पूरी जानकारी उपलब्ध है। जबकि विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए योजना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में नहीं दी गयी है।

सारांश

विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जातियां वह जातियां हैं जो अपनी आजीविका के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। इनके पेशे अलग–अलग हो सकते हैं जैसे– चरवाहा, शिकारी, लुहार, मनोरंजन, संगीत आदि लेकिन मुख्यतः यह जातियां कहीं भी स्थाई रूप से निवास नहीं करती हैं। रेनके आयोग रिर्पोट (2008) में इन जातियों की देश में कुल जनसंख्या 2001 में 10 से 12 करोड़ माना है।

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की तरह संविधान में अलग पहचान नहीं की गई है। हालांकि इनमें से कईं जातियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं, जबकि कईं जातियां इन तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं।

इदाते आयोग के अनुसार पूरे देश में 269 जातियां अनु. जाति, अनु. जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। राजस्थान राज्य की अधिकारिक सूची में शामिल 32 जातियों में से 13 जातियां अनु. जाति, अनु. जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में से किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं (पेज 108)।

वर्तमान में इन जातियों की सबसे बड़ी और मुख्य समस्याओं में से एक है आवास और भूमि पर पहुंच या मिलकियत का अभाव। रेनके आयोग रिर्पोट (2008) के अनुसार 89 प्रतिशत

विमुक्त और 93 प्रतिशत घुमंतू/ अर्द्धघुमन्तू व्यक्तियों के पास ज़मीन की मिलकियत नहीं है।[12] इन जातियों को इनके मानव अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। रेनके आयोग रिर्पोट (2008) के अनुसार 58 प्रतिशत विमुक्त जातियों के बच्चे और 72 प्रतिशत घुमन्तू/ अर्द्ध घुमंतू जातियों के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।

लगभग आधे विमुक्त जातियों के बच्चे और लगभग 80 प्रतिशत घुमन्तू/ अर्द्धघुमन्तू बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं जा पाते हैं।[13] रेनके आयोग रिर्पोट (2008) में इन जातियों के आजीविका की समाप्ति एवं सांस्कृतिक एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन पर विस्तृत चर्चा की गई है। चूंकि इनमें से कईं जातियां अनुसूचित जाति या जनजाति में नहीं आतीं है, इसलिये उन जातियां को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून का लाभ और संरक्षण भी नहीं मिल पाता। आधे विमुक्त और 60 प्रतिशत से अधिक घुमन्तू/ अर्द्धघुमन्तू व्यक्तियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। 55 प्रतिशत विमुक्त और 72 प्रतिशत घुमन्तू/ अर्द्धघुमन्तू व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है। लगभग एक चौथाई विमुक्त और घुमन्तू/ अर्द्धघुमन्तू व्यक्तियों जातियों की श्मशान केंद्रों तक पहुँच नहीं है।

रेनके आयोग रिर्पोट (2008) के अनुसार केवल 26 प्रतिशत महिलाएं ही प्रसव के लिए किसी सरकारी या निजी स्वास्थ्य केंद्र जा पाती हैं। अन्य समुदायों की तरह विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों में भी महिलाओं की स्थिति खराब है या शायद अन्य समुदायों की तुलना में अत्यधिक दयनीय है।

कोरोना संकट और इसको रोकने के लिये लगाये गये लॉक–डाउन ने सभी समुदायों की तरह घुमन्तू समुदायों को भी कईं प्रकार के संकटों में डाल दिया है। प्रवासी मज़दूरों की तरह घुमन्तू समुदाय भी जहां–तहां फंस गये एवं जिस काम में लगे थे वो काम बंद हो गया। भुखे प्यासे सैंकड़ों कि.मी. पैदल चलने पर मजबूर हुए। काम काज बंद हो जाने से जो भी थोड़ी आय थी वो भी बंद हो गई। मुश्किल यह हुई कि दस्तावेज़ों के अभाव में इन समुदायों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपायों का लाभ भी नहीं मिला।

घुमन्तू जातियों के आर्थिक सामाजिक स्थिति के विश्लेषण से से स्पष्ट है कि ये समुदाय विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों से बहुत ही पीछे हैं। गरीबी (लक्ष्य–1), साक्षरता (लक्ष्य–4), स्वास्थ्य (लक्ष्य–3), महिलाओं की स्थिति (लक्ष्य–5), साफ पेयजल तक पंहुच (लक्ष्य–6)

---

[12] http://daic.gov.in/documents/PPT%20ON%20DNT%20Presented%20at%20LBSNAA%20By%20B%20L%20Meena.pdf

[13] ***ibid***

संपत्तीयों पर मालिकाना हक़ और राजनैतिक भागीदारी (लक्ष्य–10) आदि सभी लक्ष्यों के मामले में घुमन्तू समुदाय बाकी जनसंख्या से पीछे हैं।

केन्द्र एंव राज्य सरकारों ने इस समुदाय के लिये कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। हालांकि आजादी के बाद से ही कईं आयोग और समितियों ने इस समुदाय की स्थिति पर विमर्श किया है और सिफारिशें की हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड के मुख्य कार्य है विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना एवं उन्हें लागू करना।

विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति विकास एवं कल्याण बोर्ड के अलावा भारत सरकार वर्तमान में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति के लिये योजना चला रही है। ये योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही हैं, इन जो समुदायों के विकास के लिए लिए नोडल मंत्रालय है।

राजस्थान में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के विकास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्य ज़िम्मेदार विभाग है। राजस्थान सरकार ने भी राज्य में एक विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू बोर्ड की स्थापना की है। हालांकि इस बोर्ड में फिलहाल नियुक्तियां नहीं हुई हैं।

राजस्थान में विशेष रूप से घुमन्तू जातियों की योजनाएं :–

- विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू (वि.घु.अ.) जाति बोर्ड।
- वि.घु.अ. जातियों के लिए योजना।
- गाड़िया लोहार को कच्चे माल के लिए अनुदान।
- गाड़िया लोहार के लिए एकीकृत परियोजना के लिए अनुदान।

राज्य में गाड़िया लोहार, जो एक घुमन्तू जाति है, के लिए दो योजनाएं चल रही हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं, जिनसे कुछ घुमन्तू जातियां भी लाभांवित होती हैं।

वि.घु.अ. जातियों की योजनाओं और अन्य योजनाओं के रिपोर्टिंग में भी स्पष्ट अंतर है। विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में देवनारायण योजना के बारे में जानकारी पारदर्शी रूप से दी गयी है। विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में योजनाओं के बजट और लाभार्थियों की जानकारी भी उपलब्ध है। यहाँ तक की नवजीवन योजना के बारे में भी विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में पूरी जानकारी

उपलब्ध है। जबकि विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए योजना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में नहीं दी गयी है।

सुझाव

- **भारत सरकार** को पिछले दो आयोगों की सिफारिश को मानते हुए वि.घु.अ. जातियों के लिए एक स्थायी आयोग बनाना चाहिए।
- 2021 की जनगणना में वि.घु.अ. जातियों की सही जनसँख्या पता करने के प्रावधान होने चाहिए।
- वि.घु.अ. जातियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का बजट बढ़ाया जाना चाहिए।
- भारत सरकार को रेनके और इदाते आयोगों की अन्य सिफारिशों को भी लागू करना चाहिए।
- **नीति आयोग** को सतत विकास लक्ष्य 10 (असमानता में कमी) के अंतर्गत समुदायों सहित सभी हाशियाकृत समुदायों के विकास के आंकड़े संकेतक के रूप में शामिल करने चाहिए।
- **राजस्थान सरकार** को वि.घु.अ. जातियों के लिए पहचान सम्बधित दस्तावेज बानाने की प्रक्रिया आसान करनी चाहिए, जिससे इनको सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
- राजस्थान सरकार को वि.घु.अ. जातियों को भूधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाना चाहिए।
- वि.घु.अ. जातियों की बस्तियों की पहचान कर उन तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ उन्हें कार्यशील किया जाना चाहिए।
- वि.घु.अ. जाति बोर्ड में नियुक्तियां कर उसे कार्यशील बनाया जाना चाहिए।
- देवनारायण योजना की तरह वि.घु.अ. जातियों की योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- अनुसूचित जाति उप योजना को प्रभावी रूप से लागू कर अनुसूचित जाति में आने वाली घुमंतू जातियों को इस उपयोजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

DSJ&E (GoR), 2020, Annual Report 2019-20, Department of of Social Justice and Empowerment, available on: https://rajassembly.nic.in/AnnualProgressReportView.aspx

MSJ&E, 2020, Annual Report 2019-20, Ministry of Social Justice and Empowerment, available on: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/ANNUA_REPORT_201920E.pdf

NCDNT, 2015, Report of of National Commission for Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes (Idate Commission), available on: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Idate%20Commission.pdf

NCDNT, 2008, Report of National Commission for Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes (Renke Commission), Vol 1, available on: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NCDNT2008-v1%20(1).pdf

NCDNT, undated, Draft List of Denotified Tribes, Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes of India, available on: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Draft%20List%20of%20Denotified%20Tribes%20for%20Mail.pdf

NITI, 2021, SDG India Index 2020-21, available on https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.03.2021_Web_Spreads.pdf

संलग्नक तालिका 1: विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू के लिए विभिन्न योजना के लिए बजट – राजस्थान (करोड़ रूपये में)

योजना कार्यक्रम	2017–18			2018–19			2019–20			2020–21		2021–22
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
वि.घु.अ. बोर्ड	0.18	0.13	0.08	0.18	0.04	0	0.18	0	0	0.18	0.04	0.18
वि.घु.अ. के लिए योजनाएं												
छात्रावास की सुविधा	0.0012	0.0012	0	0.0012	0.0012	0	0.0012	0	0	0.0012	0	0
आवसीय विद्यालय	0.0011	0.0011	0	0.0011	0.0011	0	0.0011	0	0	0.0011	0	0
प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0
विशेष शैक्षिक अुनदान	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0
पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृति योजना	0.7189	0.7189	0	0.96	0.96	0	0.002	0	0	0.665	0.0002	1.07
छात्रों के लिए साईकिल वितरण योजना	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0
छात्रों के लिए स्कूटी वितरण योजना	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0
स्वरोजगार (स्वरोजगार के लिए सहायता)	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0
कौशल परिक्षण (स्व–प्रशिक्षण के लिए सहायता)	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0
वार्षिक पुरस्कार/प्रशिक्षण /वाद्यंत्र खरीद योजना (वार्षिक पुरस्कार/शिक्षा)	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0	0.0001	0	0

वि.घु.अ. के लिए योजनाए – योग	**0.72**	**0.72**	**0.00**	**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.93**	**0.00**		**0.67**		
गड़िया लोहार को कच्चे माल के लिए अनुदान	0.15	0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.1	0.02	0.0155	0.02	0.05	0.05
गड़िया लोहार के लिए एकीकृत परियोजना के लिए अनुदान	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.397	1.5	2	2
नवजीवन योजना के अंर्तगत लाभांवित परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0.0001	0	0.0001	0	0
नवजीवन योजना	4.30	3.71	2.98	3.84	3.67	3.54	3.73	4.65	4.54	3.73	5.11	5.29
राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड को अनुदान	0.20	0.21	0.00	0.24	0.40	0.31	0.40	0.00	0	0.25	0.04	0.25
पशुपालकों के बच्चों के लिए योजना	12.5	6	2	9.82	9.65	9.65	8	8	8	0.17	0	0
पशुपालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय	3.14	3.44	3.07	3.53	3.83	3.61	4.06	3.85	3.65	4.36	4.67	5.82
देवनारायण योजना	**153.53**	**166.81**	–	**169.98**	**169.23**	–	**181.88**	**201.78**	**180.29**	**176.26**	**216.46**	**208.76**

स्रोतः राजस्थान बजट, विभिन्न वर्ष

संलग्नक 2 राजस्थान राज्य की विमुक्त, घुमन्तू जातियां और अर्द्धघुमन्तू जातियों की सूची

De-notified Tribes (विमुक्त जातियां)

1. Baori (बावरीं)
2. Kanjar (कंजर)
3. Shasi (साँसी)
4. Bagri (Bawaria) (बागरी) (बावरिया)
5. Mogia (मोगया)
6. Nut (नट)
7. Naik (नाइक)
8. Multanis (मुल्तानिस)
9. Bhat (भाट)

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियां)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातियां)

1. Baldias (Banjaras) (बालदायस) (बंजारा)
2. Pardhis (पारधी)
3. Domabaris (दोमाबरिस)
4. Gadia Lohars (गाड़िया– लोहार)
5. Iranis (इरानिस)
6- Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया)
7. Jogi Kanphata (जोगी कलफटा)
8. Khurpalts (Kulphaltas) (खुपलट्स)
9. Shikkaligar (सिकलीगर)
10. Ghisadis (घीसादिस)

Semi Nomadic Tribes (अर्द्धघुमन्तू जातियां)

1. Sarangiwala Bhopasas (सारंगीवाला भोपा)
2. Rebarì (रैबारी)
3. Raths (राठ)
4. Manglias (मंगलियास)
5. Bhay (भाया)
6. Kannis (कन्नीस)

7. Janglus (जंगलूस)
8- Jalukus (जालूकूस)
9. Jhangs (झानस)
10. Sindlus (सिन्दुलस)
11. Jogis (जोगी) (घुमन्तू जातियों में शामिल को छोड़कर)
    i. Girinath (गिरिनाथ)
    ii. Ajaipal (अजयपाल)
    iii. Agamnaths (अगमनाथ)
    iv. Mamaths (नामाथ)
    v. Jalandhars (जालंधर)
    vi. Masanis (मसानी)
12. Ramaswamies (रामास्वामी) OBC
13. Bharaddi-jadhavs (भारादिजाधव) OBC

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, 2019–20, सामाजिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संलग्नक 3 विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाई गई ड्राफ्ट सूची में शामिल जातियां

इनके अलावा विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाई गई ड्राफ्ट सूची में निम्न जातियों को शामिल किया गया है।

De-notified Tribes (विमुक्त जातियां)

1. Lodha/Lodhi (लोधा / लोधी)
2. Banjara (बंजारा)
3. Bhil (भील)
4. Bijoria (बिजोरिया)
5. Nayak (नाइक)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातियां)

1. Badi (बदी)
2. Bagri (बागड़ी)
3. Baori (भौरी)
4. Bawaria (बावरिया)
5. Bajgar (बाजगर)
6. Bansphor, Banphod (बांसफोर, बाणफोड़)
7. Bedia, Beria (बेदिया, बेरिया)
8. Bhand (भांड)

9. Champta/Chamta (चम्पत,चम्ता)
10. Dhivar, Kahar, Bhoi (धीवर, कहार, भोई)
11. Garo, Garoda (गारो, गारोदा)
12, Gadaria (Gadri), Gaddi, Ghosi (Gvala) गडरिया (गदरी), गद्दी, घोसी (ग्वाला)
13. Garasia (गरासिया)
14. Gavaria (गवारिया)
15. Gawaria/Gwariya (घवारिया/घवरिया)
16. Ghihara (गहिरा)
17. Ghosi (Muslim) (घोसी) (मुस्लिम)
18. Jogi, Kanipa (जोगी, कनीपा)
19. Jogi Nath (जोगी नाथ)
20. Kalbelia, Sapera (कालबेलिया, सपेरा)
21. Kangigar (कंजीगर)
22. Kanjar (कंजर)
23. Kooch Band, Kuchband (कूच बैंड, कुचबंद)
24. Langa (लंगा)
25. Madari, Bazigar (मदारी)
26. Mang Garudi (मंगल गरुड़)
27. Mangnyar Muslim (मांग्यार मुस्लिम)
28. Mirasi (Muslim) (मिरासी (मुस्लिम)
29. Mogia (Mogya) (मोंगीया(मोग्या)
30. Nat (नट)
31. Odd (ओड़)
32. Rawal (रावल)
33. Sanchia (सांचिया)
34. Santia, Satia (सेंटिया, सतिया)
35. Sindhi Meher (Muslim), Meher (सिंधी मेहर (मुस्लिम), महर)
36. Singiwala (सिंगिवाला)

स्रोतः विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाई गई ड्राफ्ट सूची (पेज 32–33)